संचिका संख्या–01 / स्था०राज–330 / 2025–

बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार,
अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– अप्रैल, 2025

विषय : श्री कैलाशनाथ, सहायक निदेशक, ईख विकास, गया का पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि दिनांक–07.01.2025 से 10.03.2025 तक का विनियमन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कृषि विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–01 / ए०जी०(शष्य)–11 / 2022–31 दिनांक–03.01.2025 के क्रमांक–1 के अनुपालन में श्री कैलाशनाथ द्वारा दिनांक–07.01.2025 को जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल का प्रभार दिनांक–07.01.2025 के पूर्वाहन में सौप कर गन्ना उद्योग विभाग मुख्यालय में पूर्वाहन में योगदान दिया गया है। विभागीय अधिसूचना संख्या–1 / 212609 / 2025 दिनांक–05.03.2025 द्वारा श्री कैलाशनाथ को सहायक निदेशक, ईख विकास, गया के पद पर पदस्थापित किया गया है। श्री कैलाशनाथ द्वारा दिनांक–11.03.2025 के पूर्वाहन में अधिसूचित पद पर प्रभार ग्रहण किया गया है। वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–10128 / वि०(2) दिनांक–26.12.2003 एवं पत्रांक–2731 / वि० दिनांक–11.03.2025 के आलोक में श्री कैलाशनाथ, सहायक निदेशक, ईख विकास, गया का दिनांक–07.01.2025 से 05.03.2025 तक प्रभार रहित अवधि को पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा एवं दिनांक–06.03.2025 से 10.03.2025 तक देय अवकाश के रूप में विनियमन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त हैं।

3. प्रस्ताव पर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह० / –
अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या–01 / स्था०राज–330 / 2025– / पटना, दिनांक– अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या–01 / स्था०राज–330 / 2025–393 . / पटना, दिनांक– 08 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना / विभागीय लेखा शाखा / श्री कैलाशनाथ, सहायक निदेशक, ईख विकास, गया / श्रीमती शालीनता रानी, आई.टी. प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

08/04/2025
अवर सचिव।

Hall